बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक– 9 / उपा / बीज(विविध)–32 / 2014 5510 / कृ0, पटना दिनांक 05-12- 2014

प्रेषक,

विश्वनाथ चौधरी,
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

 # अनौपचारिक रूप से परामर्शित **#द्वारा** – वित्त विभाग।

विषय – **बिहार राज्य बीज निगम को बीज भंडारण तथा प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार / आधुनिकीकरण के लिए 5422 लाख रूपये (चौवन करोड़ बाईस लाख रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति के अधीन वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्वीकृति के लिए अवशेष राशि में से अनुसूचित जनजाति के लिए तत्काल 10 लाख रूपये (दस लाख रूपये) सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

निदेशानुसार कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या– 6330 दिनांकः 20.12.2013 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य बीज निगम को बीज भंडारण तथा प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार / आधुनिकीकरण के लिए 5422 लाख रूपये (चौवन करोड़ बाईस लाख रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति के अधीन वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्वीकृति के लिए अवशेष राशि में से अनुसूचित जनजाति के लिए तत्काल 10 लाख रूपये (दस लाख रूपये) सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. निकासी हेतु स्वीकृत 10 लाख रूपये का व्यय मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म उप मुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना मांग संख्या–01 उपशीर्ष–0146 बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीजोत्पादन कार्यक्रम विपत्र कोड P2401007960146 राज्य योजना स्कीम कोड– AGR 5017 विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा में वर्ष 2014–15 के मूल बजट में उपबंधित 16 लाख रूपये से विकलनीय होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। सहायक अनुदान के रूप में व्यय के लिए स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी०–42 पर की जायेगी। स्वीकृत सहायक अनुदान बिहार राज्य बीज निगम को पूर्व प्राप्ति रसीद के अनुसार विमुक्त की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। बिहार राज्य बीज निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। बिहार राज्य बीज निगम द्वारा इस योजना के लिए अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक होंगे।

4. कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या– 6330 दिनांकः 20.12.2013 द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम एवं शर्त्तें यथावत रहेंगी।

5. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संरव्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–190/2006 के पृ0सं0– 106/टि. पर दिनांक– 10.12.2013 को प्राप्त है।

6. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

7. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या पत्रांक–9/उपा/बीज(विविध)–32/2014 के पृ0सं0– 04 /टि. पर दिनांक– 01.12.14 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

3.12.14

(विश्वनाथ चौधरी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 5510 /कृ0, पटना, दिनांक 05-12-, 2014

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.12.14

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 5510 /कृ0, पटना, दिनांक 05-12-, 2014

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.12.14

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 5510 /कृ0, पटना, दिनांक 05-12-, 2014

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.12.14

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 5510 /कृ0, पटना, दिनांक 05-12-, 2014

प्रतिलिपि– कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त संचिव, बिहार, पटना/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/ संबंधित उप कृषि निदेशक/ सभी जिला कृषि पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/ मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3.12.14

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।